उत्तर प्रदेश शासन
5/2023 राजस्व अनुभाग-1
संख्या-प्र0सं0-46/एक-1-2023-रा0-1
लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप (संशोधन)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 से सम्बन्धित परियोजनाओं के सहज संस्थापना हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था में निम्नवत परिवर्तन किया जाता है:-

(1) शासनादेश संख्या-34/746/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि अर्जन के लिए निर्गत किए गए प्रारूप- क(9) एवं ख(18) के कालम 5, 7 और 8 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। इस हेतु ग्राम का नाम का उल्लेख किया जाना ही पर्याप्त होगा।

(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के परिशिष्ट-1 परिसीमा और न्यायालय शुल्क नियम-191 के क्रमांक-13 पर उद्घोषणा के लिए आवेदन हेतु उपयुक्त न्यायालय शुल्क के कालम में संहिता के नियम 85 (2) के अनुसार, के स्थान पर कालम-14 में धारा-82(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा रद्द किए जाने के लिए आवेदन हेतु निर्धारित न्यायालय शुल्क प्रभार्य होगा।

(3) शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(3) में वर्णित व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए आरक्षित श्रेणी की भूमियों का श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-235/पी0एस0/ए0पी0सी0 /2023, दिनांक-04.02.2023 के क्रम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।